

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं०- 17-प्लॉटर अधिष्ठापन (सोनपुर मेला)-366/2017.....⁸⁰⁵⁶

प्रेषक,

जय सिंह, मा० प्र० से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता,
सारण, छपरा।

पटना, दिनांक : 22/09/2023

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत ईकाई कोड- 13 01 कार्यालय व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में निधि का आवंटन।

प्रसंग :- अपर समाहर्ता, सारण का पत्रांक 2773/रा० दिनांक 08.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2022 के राजस्व के प्रदर्शनी स्टॉल एम०के० इवेंट जहाँगीरपुर, सोनपुर से संबंधित विपत्र के भुगतान हेतु 14,82,788/- (चौदह लाख बेरासी हजार सात सौ अटठासी) रुपये मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है :-

क्र०सं०	विषय शीर्ष / ईकाई कोड	जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा
1	2	3
01	13 01 कार्यालय व्यय	14,82,788
(चौदह लाख बेरासी हजार सात सौ अटठासी रुपये मात्र)		

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 1296 दिनांक 03.06.2022 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/ईकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 -2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक :- 17-प्लॉटर अधिष्ठापन (सोनपुर मेला)-366/2017.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक : 22/09/2023

ज्ञापांक :- 17-प्लॉटर अधिष्ठापन (सोनपुर मेला)-366/2017.....

प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक : 22/09/2023

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-प्लॉटर अधिष्ठापन (सोनपुर मेला)-366/2017.....⁸⁰⁷⁶ पटना, दिनांक :- ^{22/09/2023}
प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

ज्ञापांक :- 17-प्लॉटर अधिष्ठापन (सोनपुर मेला)-366/2017.....⁸⁰⁷⁶ पटना, दिनांक :- ^{22/09/2023}
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण